रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 3 अक्तूबर, 1988/11 आश्विन, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(राजभाषा विधायी अनुभाग)

अधिसूचना

तारीख :—

संख्या० एल०एल०आर०-13/88 से 18/88.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—

1. दि हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटर्ज (माडिफिकेशन आफ सरटेन एमिनिटीज) ऐक्ट, 1985 (1986 का 3);
2. दि हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव एसैम्बली (अलाउंसिज एण्ड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) (एमेण्डमेण्ट) ऐक्ट 1986 (1987 का 3);
3. दि हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव एसैम्बली (अलाउंसिज एण्ड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) (एमेण्डमेण्ट) ऐक्ट, 1985 (1985 का 10);
4. दि हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव एसैम्बली (अलाउंसिज एण्ड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) (एमेण्डमेण्ट) ऐक्ट, 1987 (1987 का 12);
5. दि हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटर्ज (माडिफिकेशन आफ सरटेन एमिनिटीज) ऐक्ट, 1988 (1988 का 8);

2410-राजपत्र/88-5-10-88—1,261.

मूल्य: 20 पैसे।

6. दि हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटर्ज (माडिफिकेशन आफ सरटेन एमिनिटीज) ऐक्ट, 1986 (1986 का 18);

के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देत हैं । यह उक्त अधिनियमों का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियमों में कोई भी संशोधन इत्यादि करना अपेक्षित हो तो वह राजभाषा (हिन्दी) में ही करना अनिवार्य होगा । राजभाषा (हिन्दी) पाठ जारी किए बिना कोई भी विधेयक या अधिसूचना आदि विधिमान्य नहीं होगी ।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश विधायक (कतिपय सुख-सुविधाओं का उपान्तरण) अधिनियम, 1985

(1986 का 3)

16-1-1986

राज्य विधान मण्डल के मंत्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप-मंत्रियों और सदस्यों को दी जान वाली सुख-सुविधाओं सम्बन्धी विधि में और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधायक (कतिपय सुख-सुविधाओं का उपान्तरण) अधिनियम, 1985 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पन्शन) अधिनियम, 1971 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 में—

(क) धारा 3 की उप-धारा (1) में "पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "सात सौ पचास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) में "इक्यावन" शब्द के स्थान पर "पचहत्तर" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) धारा 4-ख में "पांच सौ" शब्द के स्थान पर "सात सौ पचास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) धारा 5 की उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक में "चार" शब्द के स्थान पर "पांच" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) धारा 5 की उप-धारा (2) के द्वितीय परन्तुक में "एक" शब्द के स्थान पर "दो" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; और

(च) धारा 6-ख के अन्त में निम्नलिखित उप-धारा (5) जोड़ी जाएगी, अर्थात:—

"(5) जहां उप-धारा (1) के अधीन पैन्शन लेने वाले या पैन्शन लेने के हकदार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो,—

(i) उसकी पत्नी/पति अपने जीवन काल में या पुनर्विवाह पर्यन्त; या

(ii) यदि ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति नहीं है तो वयस्कता की आयु अभि-प्राप्त करने पर्यन्त उसकी संतान और पुत्रियों की दशा में उनके विवाह करने पर्यन्त;

उस राशि के बराबर पैन्शन लेने की हकदार होगी/होगा/होंगे जो इस धारा के अधीन उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है :

परन्तु जहां इस उप-धारा के अधीन एक से अधिक व्यक्ति पैन्शन पाने के हकदार हों तो ऐसे सभी व्यक्ति उक्त पन्शन को समान अंश में लेने के हकदार होंगे ।

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 का संशोधन ।

3. मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 3) की धारा 8 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में "चार" शब्द के स्थान पर "पांच" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 का संशोधन ।

4. हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) की धारा 8 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक म "चार" शब्द के स्थान पर "पांच" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 का संशोधन ।

5. उप-मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 5) की धारा 9 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में "चार" शब्द के स्थान पर "पांच" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) (संशोधन) अधिनियम, 1986

(1987 का 3)

(2 जनवरी, 1987)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) में और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1987 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

धारा 6-ख का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) की धारा 6-ख की उप-धारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा (5) प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5) जहां उप-धारा (1) क अधीन पैन्शन लेने वाले या पैंशन लेने के हकदार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो, —

(i) उसकी पत्नी/पति अपने जीवन काल में या पुनर्विवाह पर्यन्त; या

(ii) यदि ऐसे व्यक्ति की पत्नी/पति नहीं है तो वयस्कता की आयु अभिप्राप्त करने पर्यन्त उसकी संतान और पुत्रियों की दशा में उनके विवाह करने पर्यन्त;

ऐसी मृत्यु के ठीक अगले दिन से या जनवरी, 1986 के चौबीसवें दिन से, जो भी बाद में हो, उस राशि क बराबर पैन्शन लेने की हकदार होगी/होगा/होंग जो इस धारा के अधीन उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती :

परन्तु जहां इस उप-धारा के अधीन एक से अधिक व्यक्ति पैन्शन पाने के हकदार हों तो ऐसे सभी व्यक्ति उक्त पैन्शन को समान अंश में लेने के हकदार होंग ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन (संशोधन) अधिनियम, 1985

(1985 का 10)

(11 सितम्बर, 1985)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) में और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) (संशोधन) अधिनियम, 1985 है ।

(2) यह अक्तूबर, 1984 के प्रथम दिन से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

(1971 का 8) 2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (च) के अन्त में आए "और" शब्द का लोप किया जाएगा; और

(ख) खण्ड (छ) के अन्त में आए पूर्ण-विराम के चिन्ह "।" के स्थान पर "; और" चिन्ह और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे और उसके पश्चात् निम्न-लिखित नया खण्ड (ज) जोड़ा जाएगा; अर्थात् :—

"(ज) 'राज्यपाल' से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल अभिप्रेत है ।"

धारा 4-घ का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4-घ की उप-धारा (1) के रूप में अंकित किया जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा (2) जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन गृह निर्माण के लिए या बने बनाए गृह का क्रय करने के लिए गृह निर्माण अग्रिम अभिप्राप्त करने पर किसी सदस्य की, ऐसे सदस्य के रूप में, उसकी पदावधि के दौरान मृत्यु हो जाती है और राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि मृतक के कुटुम्ब की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि अग्रिम के रूप में दी गई राशि का मृतक के कुटुम्ब द्वारा प्रतिसंदाय नहीं किया जा सकता है तो ऐसे अग्रिम की राशि या उसका कोई भाग, जो

अग्रिम अनुदान के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार उसकी मृत्यु की तारीख के पश्चात् ब्याज सहित प्रोदभूत हुआ हो, राज्यपाल की मंजूरी से अप-लिखित किया जा सकेगा ।"

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) (संशोधन) अधिनियम, 1987

(1987 का 12)

(8 मई, 1987)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) में और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1987 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

धारा 4-ख का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) की धारा 4-ख में ,—

(क) "सात सौ पचास" शब्दों के स्थान पर "एक हजार तीन सौ पचास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) धारा 4-ख के अन्त में लगाए गए पूर्ण-विराम के चिन्ह "।" के स्थान पर कोलन का चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसके पश्चात् स्पष्टीकरण सहित निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु जो सदस्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम या किसी स्थानीय प्राधि-करण के आशुलिपिक की सेवाओं सहित अनुसचिवीय कर्मचारिवृन्द की सेवाओं का हकदार है तो वह इस धारा के अधीन केवल सात सौ पचास रुपए प्रति मास की दर से भत्ता लेने का हकदार होगा' ।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजन के लिए "अनुसचिवीय सुविधा" अभिव्यक्ति के अन्तर्गत आशुलिपिकीय सहायता भी होगी ।

हिमाचल प्रदेश विधायक (कतिपय सुख-सुविधाओं का उपान्तरण) अधिनियम, 1988

(1988 का 8)

(20 मई, 1988)

राज्य विधान मण्डल के मंत्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप-मंत्रियों और सदस्यों को दी जाने वाली सुख-सुविधाओं सम्बन्धी विधि में और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधायक (कतिपय सुख-सुविधाओं का उपान्तरण) अधिनियम, 1988 है ।

(2) यह अप्रैल, 1988 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा ।

मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम 1971 का संशोधन ।

2. मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 3) में—

(i) धारा 3-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"3-क प्रत्येक मंत्री को निम्नलिखित दरों पर सत्कार भत्ता संदत्त किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) मुख्य मंत्री—एक हजार पांच सौ पचास रुपए प्रति मास;

(ख) प्रत्येक अन्य मंत्री को जो मंत्रीमण्डल का सदस्य है—एक हजार रुपए प्रति मास;

(ग) राज्य मंत्री—आठ सौ रुपए प्रति मास ।"; और

(ii) धारा 8 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में आए "पांच" शब्द के स्थान पर "आठ" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उप-ध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 का संशोधन ।

3. हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) में —

(i) धारा 4-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: —

"4-क अध्यक्ष को एक हजार एक सौ पचास रुपए और उपाध्यक्ष को आठ सौ रुपए प्रति मास सत्कार भत्ता संदत्त किया जाएगा ।" ; और

(ii) धारा 8 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में आए "पांच" शब्द के स्थान "आठ" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनिय, 1971 में संशोधन ।

4. उप-मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 5) में—

(i) धारा 3-क में "तीन" शब्द के स्थान पर "छ" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; और

(ii) धारा 9 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक में "पांच" शब्द के स्थान पर "आठ" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन)

5. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) में —

(क) धारा 4-ख में "एक हजार तीन सौ पचास" शब्दों के स्थान पर "एक हजार छः सौ" और "सात सौ पचास" शब्दों के स्थान पर "एक हजार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) धारा 5 की उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक में "पांच" शब्द के स्थान

अधिनियम, 1971 का संशोधन ।

पर "आठ" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) धारा 6-ख में,--

(i) उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के द्वितीय परन्तुक में --

(1) "पचास" और "एक हजार" शब्दों के स्थान पर क्रमश: "एक सौ" और "एक हजार पांच सौ" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(2) इसी परन्तुक के अन्त में किन्तु पूर्ण-विराम के चिन्ह "।" से पूर्व "और इस प्रयोजन के लिए छः मास से अधिक की अवधि के भाग को एक वर्ष के रूप में संगणित किया जाएगा" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"(3) यदि उप-धारा (1) के अधीन पैंशन पाने का हकदार कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या किसी स्थानीय प्राधिकरण से भी किसी विधि के अधीन या अन्यथा पन्शन पाने का हकदार है, तो ऐसे व्यक्ति को सभी स्रोतों से अनुज्ञेय अधिकतम पैन्शन, हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रथम श्रेणी के अधिकारी को अनुज्ञेय अधिकतम पैन्शन से अधिक नहीं होगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई स्वतन्त्रता सेनानी पैन्शन स्कीम और/या स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पैन्शन स्कीम के अधीन संदेय पैन्शन को इस अधिनियम के अधीन संदेय पैन्शन की रकम के अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा ।" ; और

(iii) उप-धारा (5) में "उस राशि के बराबर" शब्दों के बाद और कोलन ":" के चिन्ह से पूर्व आने वाले विद्यमान सभी शब्दों का लोप किया जाएगा और उनके स्थान पर--"जो इस धारा के अधीन उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती या तीन सौ पचहत्तर रुपये की रकम प्रति मास, जो भी अधिक हो, लेने की हकदार होगी/होगा/होंगे" चिन्ह और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

हिमाचल प्रदेश विधायक (कतिपय सुख-सुविधाओं का उपान्तरण) अधिनियम, 1986

(1986 का 18)

(30 अगस्त, 1988)

राज्य विधान मण्डल के मन्त्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप-मंत्रियों और सदस्यों को दिए जाने वाले भत्तों/सुख-सुविधाओं और पन्शन सम्बन्धी विधि में और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधायक (कतिपय सुख-सुविधाओं का उपान्तरण) अधिनियम, 1986 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 का संशोधन ।

2. मन्त्रियों का वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 3) में,—

(क) विद्यमान धारा 3 के स्थान पर, इसके शीर्षक सहित, निम्नलिखित धारा 3 प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"3 **मन्त्रियों के वेतन और भत्ते.**—प्रत्येक मन्त्री प्रतिमास एक हजार पांच सौ रुपए की दर से वेतन और ऐसे मंत्री के रूप में अपनी सारी अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए उन्हीं दरों पर भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जैसी कि राज्य विधान सभा के सदस्यों के बारे में हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट की गई है ।", और

(ख) इस प्रकार प्रतिस्थापित धारा 3 के पश्चात् इसके शीर्षक सहित, निम्नलिखित धारा 3-क जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

"**3-क मन्त्रियों को सत्कार भत्ता.**—प्रत्येक मन्त्री को निम्नलिखित दरों पर सत्कार भत्ता संदत्त किया जाएगा:—

(क) मुख्य मंत्री.—एक हजार दो सौ पचास रुपए प्रतिमास,

(ख) प्रत्येक अन्य मंत्री.—को जो मंत्री मण्डल का सदस्य है—सात सौ रुपये प्रतिमास,

(ग) राज्य मंत्री.—पांच सौ रुपये प्रतिमास ।"

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 का संशोधन ।

3. हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का 4) में—

(क) विद्यमान धारा 3 के स्थान पर, इसके शीर्षक सहित, निम्नलिखित धारा 3 प्रतिस्थापित की जाएगी :—

"3(1) **अध्यक्ष का वेतन आदि.**— अध्यक्ष प्रतिमास एक हजार पांच सौ रुपये की दर से वेतन और ऐसे अध्यक्ष के रूप में अपनी सारी अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए उन्हीं दरों पर भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जैसा कि राज्य विधान सभा के सदस्यों के बारे में हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट की गई है ।

(2) अध्यक्ष को उसकी पदावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा शिमला में निःशुल्क सुसज्जित गृह दिया जाएगा, जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । राज्य सरकार उसे दिए गए गृह का उसके अध्यक्ष न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए निःशुल्क अधिभोग करने की उसे अनुज्ञा भी दे सकेगी ।",

(ख) धारा 3-क का लोप किया जाएगा ;

(ग) विद्यमान धारा 4 के स्थान पर, इसके शीर्षक सहित, निम्नलिखित धारा 4 प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"4 **उपाध्यक्ष का वेतन आदि.**—(1) उपाध्यक्ष प्रतिमास एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास की दर से वेतन और ऐसे उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सारी अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए उन्हीं दरों पर भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जैसा कि राज्य विधान सभा सदस्यों के बारे में हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट की गई है ।

(2) उपाध्यक्ष को उसकी पदावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा शिमला में निःशुल्क सुसज्जित गृह दिया जायेगा, जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा या ऐसे गृह के स्थान पर उसे प्रतिमास तीन सौ रुपये से अनधिक भत्ता, जैसा राज्य सरकार नियत करे, संदत्त किया जाएगा। राज्य सरकार उसे दिए गए गृह का उसके उपाध्यक्ष न रहने की तारीख से पंद्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए निःशुल्क उसे अनुज्ञा भी दे सकेगी ।"

स्पष्टीकरण—उपाध्यक्ष ऐसे किसी मामले में जहां उसको निवास के लिए आवंटित गृह का मानक किराया एक सौ पचास रुपये प्रतिमास से अधिक हो किसी संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा ।

(घ) धारा 4 के पश्चात् इसके शीर्षक सहित, निम्नलिखित नई धारा 4-क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"4-**क सत्कार भत्ता.**—अध्यक्ष को प्रतिमास आठ सौ पचास रुपये और उपाध्यक्ष को प्रतिमास पांच सौ रुपये सत्कार भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश)

4. उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 5) में,—

(क) विद्यमान धारा 3 के स्थान पर, इसके शीर्षक सहित, निम्नलिखित

धारा प्रतिस्थापित की जाएगी :—

"3 **उप-मन्त्रियों का वेतन आदि.**—प्रत्येक उप-मंत्री को प्रतिमास एक हजार चार सौ रुपये की दर से वेतन और ऐसे उप-मंत्री के रूप में अपनी सारी अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए उन्हीं दरों पर भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जैसा कि राज्य विधान सभा के सदस्यों के बारे में हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट की गई है।" ; अधिनियम, 1971 का संशोधन।

(ख) इस प्रकार प्रतिस्थापित धारा 3 के पश्चात् इसके शीर्षक सहित, निम्नलिखित धारा 3-क जोड़ी जाएगी :—

"3-**क सत्कार भत्ता**:—उप-मंत्री को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय वेतन और अन्य परिलब्धियों के अतिरिक्त प्रतिमास तीन सौ रुपये की दर से सत्कार भत्ता भी संदत्त किया जाएगा।" ; और

(ग) धारा 9-क में आए "भत्ते" शब्द के स्थान पर "वेतन और भत्ते" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 का संशोधन।

5. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) में,—

(क) धारा 4 की उप-धारा (1) स्पष्टीकरण (2) में आए "या अविराम भत्ते" शब्दों का लोप किया जाएगा और "पांच मील" शब्दों के स्थान पर "आठ किलोमीटर" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ; और

(ख) धारा 6-ख में,—

(i) उप-धारा (i) में आए "तीन सौ" और "पांच सौ" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "पांच सौ" और "एक हजार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उप-धारा (3) में आए "उसमें कम है जिसके लिए वह उप-धारा (i) के अधीन हकदार है" शब्दों के स्थान पर "एक हजार पांच सौ रुपये से कम है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(iii) उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(ख) जहां ऐसी पैन्शन की रकम जिसके लिए वह ऐसी विधि के अधीन या अन्यथा हकदार है, एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास से कम है, वहां ऐसा व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन पैन्शन की केवल उतनी ही रकम का हकदार होगा जितनी एक हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास के लिए कम पड़ती है।"

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-5, द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।